## प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12—05—18 न्यायालयःद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

जमानत आवेदन कमांक : 169 / 2018 🔊

छोटेलाल कुशवाह पुत्र कैलाश कुशवाह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खनेता,परगना गोहद जिला—भिण्ड(म०प्र०)—— आवेदक

बनाम

शासन पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म०प्र०) — अनावेदक

आवेदक / आरोपी छोटेलाल द्वारा श्री अशोक सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित। पुलिस थाना गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड,के अपराध क्रमांक 69 / 18 अंतर्गत धारा 379 भा.द.स. की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं० के संदर्भ में सुना गया।

आवेदक / आरोपी की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत आवेदन लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में आवेदक के भाई लल्लू कुशवाह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, खण्डन के अभाव में सत्य मान्य किया जाता है।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। आवेदक न्यायिक निरोध में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 437 द0प्र0सं0 का आवेदन दिनांक 08–05–2018 को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक मजदूरी पेशा व्यक्ति है यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो उसका परिवार भूखों मर जायेगा। उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। अतः प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है। समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश

12.05.18

पत्रिका दिनांक 08-05-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध करते हुय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी अवलोकन से यह आक्षेपित है कि फरियादी रामहेत सिंह कुशवाह द्वारा दिनांक 21-04-18 को थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि वह मोटर सायकिल हीरो होण्डा सीडी डॉन कमांक एम.पी.07 एम.जी. 3012 से शादी समारोह में छीमका आया था और सुरेश सिंह के घर के पास रात्रि करीब 1:00 बजे मोटर सायकिल रख दी थी एवं सुबह देखने पर मोटर सायकिल मौके पर नहीं मिली थी, जिसका आसपास तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में होना दर्शित किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0सं की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है। उक्त अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय नहीं है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 05-05-18 से न्यायिक निरोध में हैं।

आवेदक की निरोध अवधि, केस डायरी में आये तथ्य एवं संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण दोषों पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारोपरांत प्रतिभूति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि विचारोपरांत प्रतिभूति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्त **छोटेलाल** द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000 / — 10,000 / — रूपये की दो सक्षम प्रतिभूति एवं 20,000 / — रूपये का स्वयं का बंध—पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर रिहा किया जावे :—

- 1. यह कि, अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।
- 2. यह कि, विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
- 3. यह कि, पुनः समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा तथा नियत पेशी पर उपस्थित होता रहेगा। आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर विहित समयाविध में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे। सही/—

(एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

## प्रतिलिपि:-

- 1. श्रीमती शिवानी शर्मा, जे०एम०एफ०सी०, गोहद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना गोहद चौराहा की ओर अपराध कमांक 69 / 18 की केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित।

सही / – (एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

ALINATA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA SUNTA PAROLA SUNTA PAROLA PAROLA